केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत किसानों को गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति करना और प्रशिक्षण देना;

(2) ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, पकाई/प्रसंस्करण प्रकोष्ठों की स्थापना करने और गुणवत्ता जांच उपकरणों के लिए आसान शर्तों पर ऋण का प्रावधान करना;

(3) निर्यातकों/उपजकर्ताओं/सहकारिता सोसाइटियों को विशेषीकृत परिवहन यूनिटों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/प्रशीतन भण्डारण जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(4) उक्त पैकेजिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) उत्पाद की स्वीकार्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ऊर्जा उपचार सुविधाओं की स्थापना करना।

मसालों और खाद्यान्नों का निर्यात

1798. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में निर्यात किए गए/जा रहे विभिन्न प्रकार के मसालों तथा अन्य खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान मसालों और खाद्यान्नों के संबंध में अलग-अलग क्या वार्षिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा अभी तक इस संबंध में वास्तविक उपलब्धि क्या रही है; और

(ग) मसालों और खाद्यान्नों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्लाबुल्ली रमैया): (क) देश से निर्यात किए गए कुछ मसाले और खाद्यान्न नीचे दिए गए हैं:—

मसाले: काली मिर्च, इलायची (छोटी), इलायची (बड़ी), मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, लहसुन, इमली, कड़ी पाउडर, मसाला तेल और ओलियोरेजिन।

खाद्यान्न: चावल (बासमती), चावल (गैर-बासमती), गेहूं और मोटे अनाज।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए मसालों और खाद्यान्नों की कुल मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं:—

मात्रा : मी.टन में
मूल्य: करोड़ रु० में

वस्तु	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97 (अप्रैल-सितम्बर, 96)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मसाले	128720	393.42	182361	568.90	157643	606.48	211515	785.89	117721	517.77
चावल (बासमती)	324790	800.64	527233	1061.27	468696	857.76	392258	851.16	249043	554.16
चावल (गैर-बासमती)	255619	174.96	240454	225.44	422727	323.45	5120343	3701.85	1108766	1051.67
गेहूं	36749	10.21	390	0.21	58206	30.85	617211	360.90	1078653	668.49
अन्य अनाज	17058	10.16	148316	34.02	68595	25.67	28047	17.15	51462	38.65

(स्रोत: डी.जी.सी.आई.एण्ड एस., कलकत्ता)

योजना आयोग ने वर्ष 1991-92 की कीमतों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1996-97 के लिए मसालों और चावलों का क्रमशः 447 करोड़ रू० और 1127 करोड़ रू० का निर्यात होने का अनुमान लगाया है। (स्रोतः आठवीं पंचवर्षीय योजा दस्तावेज)। गेहूं और मोटे अनाजों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ग) खाद्यान्नों और मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—फसल पद्धतियां शुरू करने के चल रहे कार्यक्रमों में परिवर्तन, अन्तः क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, कम उत्पादकता स्तर वाले ब्लॉक/क्षेत्रों पर बल देना, त्रुटिपूर्ण मृदा में कार्बन और मृदा सुधारक का इस्तेमाल करना, एकीकृत पेस्ट प्रबंधन को अंगीकार करना, कृषकों को स्थान विशेष में उच्च पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल करने तथा कृषि-उपस्करों के लिए प्रोत्साहन देना, खेतों में प्रदर्शन, कृषकों को प्रशिक्षण देना, काली मिर्च के बागानों के लिए विशेष कार्यक्रमों को लागू करना, अदरक, हल्दी और मिर्च की रिलीज्ड किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन, गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रदर्शन-सह-उत्पाद बागानों की स्थापना और उनका रख-रखाव, उच्च पैदावार वाले क्षेत्र का विस्तारण और मृदा एवं जल संरक्षण उपायों को अपनाना।

खाद्यान्नों और मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी; क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना; बाजार विकास अभियान चलाना; उत्पाद विकास के लिए सहायकता देना; पैकेजिंग और गुणवत्ता प्रमाणन; और काली मिर्च (ब्राइन में काली मिर्च को छोड़कर), केसर, इलायची, मसाला तेल और ओलियोरेजिन के निर्यात पर 01.08.1996 से उपकर समाप्त करना।

Protection to Indian farmers following India's joining WTO.

1799. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Indian agriculture has earned foreign exchange worth Rs.17,000 crores this year from exports of farm products as reported in the Times of India dated 8th November, 1996;

(b) if so, how much our farm sector consumed the amount of foreign exchange during the last two years; and

(c) the steps Government propose to take to protect the rights of indian farmers in the wake of the country joining the World Trade Organisation (WTO) regime; and

(d) whether disturbing reports of patenting of some Indian crop varieties by MNCs operating in the farming sector are true; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH) (a) The total exports of agricultural and allied products (including tea, coffee and raw cotton but excluding marine products) were valued at Rs. 16223.61 crores during 1995-96.

(b) It is not possible to estimate the foreign exchange utilised by the farm sector as the statistics of goods imported are maintained productwise and countrywise and not by their intended end use. Goods imported such as petroleum products, chemicals, plants and equipments are utilised in more than one sector. However, during 1994-95 and 1995-96, fertiliser (crude and manufactured) valued at Rs.2877.78 crores and Rs. 4921.53 crores was imported.

(c) As per the WTO Agreement, member States have to provide for the protection of plant varieties either by patent or by an effective sui-generis system. As a developing country India has time till 2000 A.D. to meet this obligation.

(d) As per The Patents Act, 1970, inventions capable of being used as food or methods of agriculture or horticulture are not patentable.

Guidelines for foreign investment

1800. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: